

(10)



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ~~2~~/2017 निगरानी प्र/निगरानी/मिड/2017/4519

उदयवीर शर्मा पुत्र श्री मेवाराम शर्मा, जाति
ब्राह्मण, निवासी- ग्राम सिनोर, परगना गोहद,
जिला भिण्ड (म.प्र.)आवेदक/निगरानीकर्ता

श्री पी. डी. कर्माकर (ब.स.)
द्वारा आज दि. 17-10-17 को
प्रस्तुत

बनाम

रजिस्ट्रार
फ्लैक ऑफ कोर्ट 177/177
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अतुल शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा
निवासीगण- ग्राम 2555 कोठी, लाल साहब का
बगीचा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)
2. अनिल शर्मा पुत्र श्री राकेश शर्मा
निवासीगण- ग्राम 2555 कोठी, लाल साहब का
बगीचा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

.....अनावेदक/गैर निवासीकर्ता

परम
17-10-17

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश दिनांक 18.10.2017 प्रकरण क्रमांक 2/2017-18 अ.माल द्वारा
पारित, अनुविभागीय अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

माननीय न्यायालय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत
है :-

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर मेवाराम शर्मा के स्थान पर ग्राम
रामपुरा के भूमि सर्वे क्र. 847 रकवा 0.30 पर अपने नाम का नामांतरण
कराये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाँ विवादित कर पटवारी
मौजा द्वारा न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण
क्रमांक 20/2016-17/अ-6 पर दर्ज हुआ। अंदर अवधि
आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति की गई जिसका विधिवत निराकरण
न करते हुये संक्षिप्ततः आदेश दिनांक 16.08.2017 को नामांतरण आदेश
पारित किया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा माननीय
राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक

3


परम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4519

जिला – भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.11.2017	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आवेदक को स्थगन आदेश निरस्त किया है एवं प्रकरण में अभिलेख बुलाए जाने के आदेश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने स्थगन न देने के संबंध में पर्याप्त कारण अपने आदेश में दिए हैं। स्थगन देना या न देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	<p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>